www.summerexpress.in

समर एक्सप्रेस

दा SUMMER न्यूज़

सूर्योदय सुबह 7:21 बजे
सूर्यास्त शाम 5:36 बजे

R.N.I NO. CHMUL/25/A1155

• साल-1 • अंक-122 • पृष्ठ-8 • मूल्य-5 रूपये • मंगलवार 6 जनवरी 2026 • चंडीगढ़ • पंजाब • हरियाणा • हिमाचल • ग्रुप एडिटर : अर्शदीप सिंह समर • एग्जीक्यूटिव एडिटर : चंदन स्वप्निल

सांभर की लहरों पर गुलाबी चादर

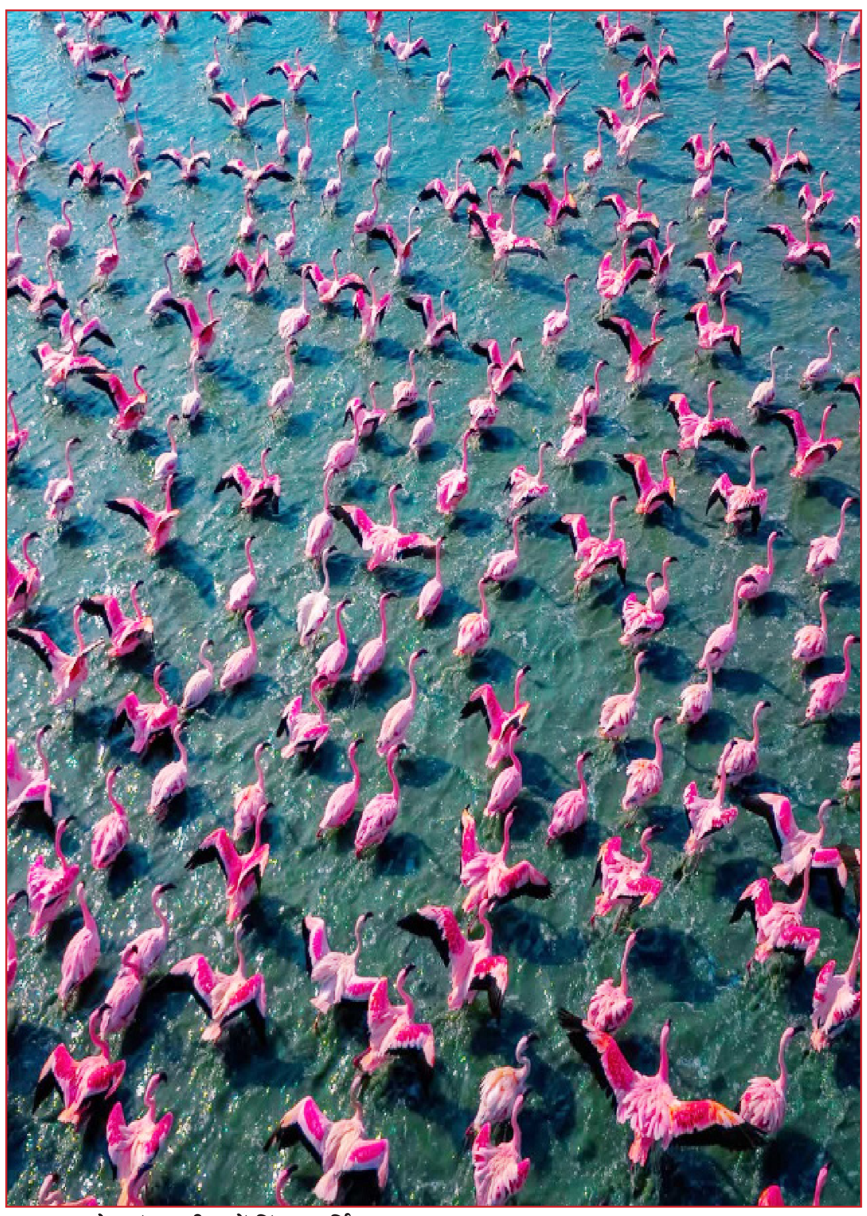

राजस्थान के सांभर झील में पिंक कार्निवल का दृश्य।

मुख्यमंत्री मान को श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होने के आदेश

अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिए

समर न्यूज | अमृतसर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया है। अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं कि वे 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अकाल तख्त साहिब सचिवालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें। यह समन मुख्यमंत्री द्वारा गोलक में पैसे चढ़ाने, दसवंध और अकाल तख्त साहिब से जुड़े कुछ बयानों को लेकर दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद जारी किया गया है। शिकायतों में

आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने बयानों के जरिए गुरु की गोलक और दसवंध जैसी सिख धार्मिक परंपराओं को निशाना बनाया है, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो क्लिप्स को लेकर भी गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं।

जत्थेदार गड़गज्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह के बयान देना सिख मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार-बार अकाल तख्त साहिब और गुरु की गोलक को चुनौती देने जैसे मामलों में मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखना ही होगा।

इस बीच, बेअदबी मामलों को लेकर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां द्वारा 24 घंटे में इंसाफ दिलाने के बयान का भी जिक्र किया गया है, जबकि कई बेअदबी मामलों को लेकर पिछले चार वर्षों से चल रहे धरने हाल ही में समाप्त कराए गए हैं।

मंत्री सोंद ने पेश होकर स्पष्टीकरण दिया: उधर, इससे पहले पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होकर भाई जैता जी (भाई जीवन सिंह) की यादगार से जुड़ी तस्वीरों पर उठे विवाद को लेकर स्पष्टीकरण दिया। वे हेरिटेज स्ट्रीट से अकाल तख्त साहिब तक नंगे पांव पहुंचे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि अकाल तख्त के निर्देशों के अनुसार सिख सिद्धांतों और पंजाबी विरासत की जानकारी रखने वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जत्थेदार ने मंत्री तरुणप्रीत सोंद और उनके विभाग का स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया है। मंत्री ने यह भी कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत की शताब्दी के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वयं मर्यादा बनाए रखने के विशेष निर्देश दिए थे। अब सभी की निगाहें 15 जनवरी पर टिकी हैं, जब यह स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अकाल तख्त साहिब के समन पर उपस्थित होते हैं या नहीं। सिख परंपरा के अनुसार, अकाल तख्त के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी धार्मिक कार्रवाई भी संभव है।

वीडियो बनाकर किया अपमानित, दो नाबालिगों समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

बरेली में किशोर का अपहरण, निर्वस्त्र कर की पिटाई

एजेंसी | बरेली

बरेली में सोशल मीडिया पर हुई बहस के बाद 16 वर्षीय दलित किशोर के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोर का अपहरण कर उसे निर्वस्त्र किया गया, बेरहमी से पीटा गया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसे डराने व अपमानित करने की कोशिश की गई।

यह घटना 31 दिसंबर की रात की बताई जा रही है, जबकि मारपीट का वीडियो शनिवार को सामने आया। पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिगों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की नाराजगी सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ी थी। आरोपियों का दावा है कि किशोर ने

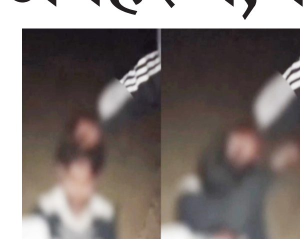

किशोर को पीटते युवक।

उनमें से एक की बहन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पीड़ित, जो एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा है, और आरोपी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पीड़ित की मां की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अपहरण, दंगा, जानबूझकर चोट पहुंचाने, आईटी एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

शिकायत के मुताबिक, किशोर टहलने निकला था, तभी आरोपी मोटरसाइकिलों पर पहुंचे, हथियारों के बल पर उसका अपहरण किया और उसे तालाब के पास एक सुनसान स्थान पर ले गए। वहां आरोपियों ने चाकू और तमंचा दिखाकर उसे निर्वस्त्र किया और बेरहमी से पीटा, साथ ही पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। किसी तरह किशोर वहां से भागकर घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

न्यूज ब्रीफ

तांत्रिक सिद्धि के लिए मासूम की बलि

यमुनानगर| हरियाणा के यमुनानगर में तांत्रिक सिद्धि के लिए दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बहन और बहनोई ने 4 साल के मासूम की हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले बच्चे का अपहरण कर उसे घर में बंधक बनाया और फिर रात को श्मशानघाट ले जाकर तंत्र-मंत्र के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से शव को पास के गांव में ट्यूबवेल के पास नाले में फेंक दिया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अपनी तांत्रिक शक्तियां बढ़ाने के लिए इकलौते बेटे की बलि देना चाहता था। मृतक प्रिंस पांच बहनों के बीच इकलौता बेटा था।

बांग्लादेश में हिंदू विधवा से गैंगरेप

बांग्लादेश| बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के कालीगंज इलाके में 44 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ गैंगरेप और बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने रेप के बाद महिला को पेड़ से बांधकर पीटा, उसके बाल काटे और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। पीड़िता ने सोमवार को कालीगंज थाने में चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक आरोपी हसन (45) को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। घटना से इलाके में भारी आक्रोश है।

सिटीजन रिपोर्टर

अब आप भी बन सकते हैं समर एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। अपने इलाके की कोई भी समस्या, आयोजन, जानकारी या खबर हमें भेजें। आपके नाम के साथ प्रकाशित की जाएगी। अपनी खबर इस फोन नंबर 7986630191 या ईमेल infosummerexpress@gmail.com पर भेजें।

पाक में निकाह करने वाली सिख महिला गिरफ्तार

पति नासिर हुसैन के साथ अरेस्ट, आज भारत डिपोर्ट किए जाने की संभावना

एजेंसी | इस्लामाबाद

पाकिस्तान के ननकाना साहिब में निकाह करने वाली भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर को उसके पति नासिर हुसैन के साथ पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताजा जानकारी के अनुसार सरबजीत कौर को आज भारत वापस भेजे जाने की संभावना है और उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरबजीत कौर हाल ही में भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के जत्थे के साथ

सरबजीत कौर।

ननकाना साहिब गई थी, लेकिन अचानक जत्थे से लापता हो गई। बाद में सामने आया कि उसने एक मुस्लिम युवक नासिर हुसैन से निकाह कर लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह भी सामने आया कि निकाह से पहले सरबजीत कौर ने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम नूर हुसैन रख लिया था। सरबजीत कौर के भारत लौटने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ननकाना साहिब के गांव पेहरे वाली में छापा मारकर दंपति को हिरासत में लिया। दोनों की पहचान 2016 में टिकटॉक के जरिए हुई थी। धर्मांतरण और सीमा पार संबंधों के चलते मामला संवेदनशील बना हुआ है।

दिल्ली दंगों का मामला: एक साल बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन की छूट

सुप्रीम कोर्ट में उमर-शरजील की याचिका खारिज

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली 2020 दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि दोनों आरोपियों की भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग और अधिक गंभीर है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यूएपीए के तहत जमानत पर लगे वैधानिक प्रतिबंध लागू होते हैं, जिन्हें लंबी न्यायिक हिरासत के आधार पर भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने यह छूट दी कि उमर खालिद और शरजील इमाम एक वर्ष बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। आतंकवादी कृत्य केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं होते, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता पर हमले भी इसके दायरे में आते हैं। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सामग्री से यह संकेत मिलता है कि कथित साजिश में उमर खालिद और

उमर खालिद।

शरजील इमाम की भूमिका केंद्रीय रही है, जबकि अन्य कुछ आरोपियों की भूमिका उनसे अलग पाई गई। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गल्फिशा फातिमा, मेरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। आरोपी पांच वर्षों से अधिक समय से जेल में हैं और अब तक मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को सुनियोजित और राज्य को अस्थिर करने की कोशिश बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया। पुलिस का दावा था कि यह हिंसा किसी आकस्मिक विरोध का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी, पूर्व-नियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसके चलते 53 लोगों की मौत हुई, भारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और दिल्ली में 753 एफआईआर दर्ज करनी पड़ीं।

अमेरिका में भारतीय महिला का मर्डर

पूर्व प्रेमी के फ्लैट से मिला शव, आरोपी भारत फरार

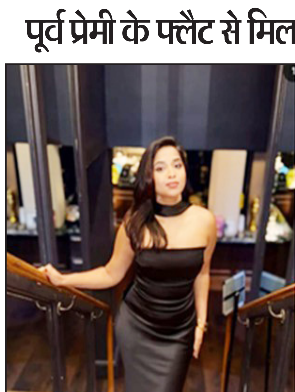

एजेंसी | मैरीलैंड

अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में न्यू ईयर ईव से लापता एक भारतीय महिला का शव उसके पूर्व प्रेमी के अपार्टमेंट से बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान पाए गए हैं। मृतका की पहचान 27 वर्षीय निकिता गोदिशाला के रूप में हुई है, जो कोलंबिया स्थित एक हेल्थ कंपनी में डेटा और स्ट्रैटेजी एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं। मामले में उनका पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा मुख्य आरोपी है, जिसके खिलाफ पहली और दूसरी डिग्री की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 2 जनवरी को अर्जुन शर्मा ने ही निकिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि उसी दिन वह भारत भाग गया। बाद में पुलिस ने कोलंबिया में स्थित अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में निकिता का शव बरामद किया। जांचकर्ताओं का मानना है कि 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे के बाद निकिता की हत्या की गई। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और मामले की जांच जारी है। अमेरिकी पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं, भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह मृतका के परिवार के संपर्क में है और हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान की जा रही है। दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में है। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में सहयोग संभव है, हालांकि इस प्रक्रिया में अदालतों की समीक्षा और कूटनीतिक समन्वय के कारण कई महीने लग सकते हैं।

लव जिहाद पर संसद में आंकड़े पेश हों: ओवैसी

एजेंसी | नई दिल्ली

लव जिहाद को लेकर चल रही बहस के बीच AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर देश में वास्तव में 'लव जिहाद' की घटनाएं हो रही हैं, तो केंद्र सरकार संसद में इसके ठोस और प्रमाणिक आंकड़े क्यों पेश नहीं करती। उन्होंने मांग की कि पिछले 11 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया

असाउद्दीन ओवैसी।

जाए और यह भी स्पष्ट किया जाए कि आखिर 'लव जिहाद' की कानूनी और सामाजिक परिभाषा क्या है। ओवैसी ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां दर्ज मामलों का विवरण भी सामने आना चाहिए। उनका कहना था कि बिना किसी स्पष्ट परिभाषा और ठोस सबूत के इस विषय पर कानून बनाना न केवल अनुचित है, बल्कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी सवाल खड़े करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति बालिग है चाहे उसकी उम्र 18 वर्ष हो या 21 वर्ष और वह अपने फैसले खुद ले रहा है, तो यह उसकी व्यक्तिगत और संवैधानिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, न कि किसी सामाजिक या राजनीतिक हस्तक्षेप का विषय।

ट्रंप के 'मुझे खुश करो' बयान पर कांग्रेस ने मोदी को घेरा

समर न्यूज | नई दिल्ली

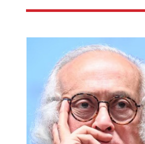

कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के रूसी तेल आयात को लेकर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ट्रंप ने कहा था कि भारत को उन्हें "खुश करना" चाहिए और सहयोग न करने पर टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। कांग्रेस ने इसे भारत पर अमेरिकी दबाव करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच कथित दोस्ती के बावजूद अमेरिका की भारत नीति अस्थिर रही है। उन्होंने कहा कि यह बयान भारत की स्वतंत्र विदेश और ऊर्जा नीति में हस्तक्षेप का संकेत देता है। ट्रंप ने पहले भी रूसी तेल को लेकर चेतावनी दी थी और अगस्त 2025 में अमेरिका ने इस मुद्दे पर भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए थे। कांग्रेस ने स्पष्ट नीति की मांग की है।

पेज 1 एंकर स्टोरी

सुरक्षा कारणों से पुराने नियम सख्ती से लागू

फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक

एजेंसी | नई दिल्ली

अब फ्लाइट के दौरान पावर बैंक का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ किया है कि सुरक्षा कारणों से विमान में पावर बैंक का उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित है और अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। हालांकि यह नियम पहले से मौजूद था। लेकिन अब एयरलाइंस यात्रियों को जागरूक करने के लिए बोर्डिंग के समय और फ्लाइट के दौरान बार-बार घोषणा कर रही हैं, ताकि हवा में किसी तरह का सुरक्षा खतरा न हो।

पावर बैंक में लिथियम आयन बैटरी होती है, जो डैमेज होने,

ज्यादा गर्म होने या खराबी आने पर आग लगने का खतरा पैदा कर सकती है। विमान के केबिन जैसे बंद स्थान में बैटरी से जुड़ी छोटी सी घटना भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केबिन के अंदर बैटरी के ज्यादा गर्म होने और धुआं निकलने जैसी घटनाओं को देखते हुए नए नियम नहीं बनाए गए हैं।

बल्कि पुराने नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। मौजूदा एविएशन सुरक्षा नियमों के अनुसार पावर बैंक को केवल हैंड बैगेज में ले जाने की अनुमति है।

इसे चेक इन बैग में रखने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही फ्लाइट के दौरान पावर बैंक से मोबाइल या अन्य डिवाइस चार्ज करने की अनुमति नहीं है। एयरलाइंस ने यात्रियों को जानकारी देने के लिए बोर्डिंग अनाउंसमेंट और इनफ्लाइट ब्रीफिंग शुरू कर दी है।

अगर कोई यात्री उड़ान के दौरान पावर बैंक का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उससे तुरंत बंद करने को कहा जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपने मोबाइल और अन्य डिवाइस पूरी तरह चार्ज कर लें।

जहां सीट पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो, वहां उसी का इस्तेमाल करें। पावर बैंक साथ ले जाना अब भी वैध है, लेकिन फ्लाइट के दौरान उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह नियम केवल उड़ान की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किया गया है।